समाचार–प्रकाशनार्थ :–

बल्क कनेक्शन स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय प्रारंभ नहीं करने पर जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की 1–1 वेतन वृद्धि रोकी

रतलाम 13 दिसम्बर । नगर निगम को हस्तान्तरित कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन देने की स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक–एक वेतनवृद्धि रोके जाने हेतु 01 दिसम्बर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने पर संबंधितों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया किन्तु उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने व इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 11 दिसम्बर को रतलाम प्रवास के दौरान क्षेत्रिय नागरिकों द्वारा शिकायत किये जाने पर 12 दिसम्बर से पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने की कार्यवाही की गई जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा यह कार्य पूर्व में ही कर लिया जाता तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता।

उक्त घोर लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के तहत श्री मोहम्मद हनीफ शेख प्रभारी कार्यपालन यंत्री, श्री भैय्यालाल चौधरी, श्री सुहास पंडित उपयंत्री, श्री नीरज यादव केमिस्ट व श्री मोहनलाल ओसारी पम्प कुल की एक–एक वेतनवृद्धि असयंचयी प्रभाव से रोकी।

24 दिसम्बर से 3 जनवरी तक आयोजित होगा त्रिवेणी मेला

रतलाम 12 दिसम्बर । त्रिवेणी के पावन तट पर ग्यारह दिवसीय त्रिवेणी मेला आयोजित किये जाने के संबंध में विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के मध्य हुई चर्चा व सहमति अनुसार 24 दिसम्बर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक मेला कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित किया जायेगा।

कोरोना संक्रमण को दृष्टि गत रखते हुए मेले में सीमित दुकानें लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी ताकि किसी प्रकार से कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो।

कन्सलटेंट प्रशमन प्रकरण तीन दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करें निगम आयुक्त श्री झारिया ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश लापरवाही बरतने पर होगा लायसेंस निरस्त

रतलाम 13 दिसम्बर । नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व नगर निगम से लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट की समीक्षा बैठक ली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार प्रशमन किये जाने संबंधी समीक्षा में प्रगति अन्यंत कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकने व कन्सलटेंट को उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई भवन अनुज्ञाओं के आधार पर निर्मित भवनों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उल्लघंन पाये जान पर प्रशमन के प्रकरण तैयार कर आगामी तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि कन्सलटेंट द्वारा लापरवाही किये जाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त किये जाने के साथ ब्लैक लिस्टेड भी किया जायेगा साथ ही ऐसे कन्सलटेंट जिनका एक भी प्रकरण शेष नहीं होगा उन्हे प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहममद हनीफ शेख, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, श्री अनवर कुरेशी के अलावा उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक श्री सुभाष गोयल सहित लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट उपस्थित थे।

श्वान बधियाकरण हेतु नियमानुसार होगा समिति का गठन

रतलाम 13 दिसम्बर । शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण की शुरूआत से पहले नियमानुसार समिति का गठन किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वंय सेवी संस्था सदस्य, जीवदया समिति सदस्यों व निगम अधिकारियों की बैठक ली।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया, निगम अधिकारी, स्वंय सेवी संस्था सदस्य, जीवदया समिति सदस्यों को डॉ. नवीश नेहरा श्वानों के बधियाकरण की कार्यवाही से बताया कि श्वानों को किस प्रकार से पकड़ा जायेगा, बधियाकरण किस प्रकार से किया जायेगा, बधियाकरण पश्चात उन्हे कितने दिन रखा जायेगा, उन्हे क्या खाना खिलाया जायेगा जैसी विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।

बैठक में तय किया गया कि श्वानों के बधियाकरण के पूर्व नियमानुसार समिति का गठन किया जिसमें निगम आयुक्त, वेटनरी डॉ0, 2 एनिमल एक्टीविस्ट, सोश्यल वर्कर आदि को सम्मिलित किया जायेगा।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी के अलावा श्रीमती अदीति दवेसर, श्रीमती बबीता नागर, श्रीमती आशा गुप्ता, अर्पित उपाध्याय, पल्लवी टांक, विशाल उपाध्याय आदि उपस्थित थे।

खुले में गंदगी करने पर 22 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 34 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 13 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 13 दिसम्बर को 22 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आय्क्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर पाटीदार धर्मशाला लक्ष्मी नगर पर 3000, गुरूकृपा पान सेंटर, सुरेश व्यास गायत्री टॉकिज पर 250–250, प्रकाश प्रजापति अशोक नगर, सोनू जैन, नियाज मोहम्मद, पंकज, संजू पोरवाल, अर्जून घांस बाजार पर 100–100, राकेश, शंभू, दर्शन, कृष्ण कुमार, सोहन, संदीप लक्ष्मी नगर, बसंतीलाल, हीरालाल, राजू यादव अशोक नगर, मगनलाल मीणा, छगन यादव घांस बाजार, भानूप्रताप सिंह, कमलेश लक्कड़पीठा पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षत्रों में बिना मास्क वाले 34 व्यक्तियों पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

13 दिसम्बर को 89 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 13 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 13 दिसम्बर सोमवार को 89 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

13 दिसम्बर सोमवार को डम्पर से 32895, ट्रेक्टर से 11210, काम्पेक्टर सूखा कचरा 24125 व काम्पेक्टर गीला कचरा 21635 किलो इस तरह कुल 89865 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

6195 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 13 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 13 दिसम्बर सोमवार तक 6195 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 61.95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 13 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 13 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों स अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 13 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को

पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगो।
समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 13.12.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.